कार्यालय आयुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
इन्द्रावती भवन, भूतल, ब्लॉक 4डी, अटल नगर जिला रायपुर (छ0ग0)
☎ - 2263708 Fax - 2262558
website - tribal.cg.gov.in E mail - ctd.cg@nic.in

क्रमांक/ ट्रा.यू.हॉ ./105/2019–20/ 6238 अटल नगर नवा रायपुर दिनांक 20/09/2019

संघलोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु कोचिंग प्रदान किये जाने हेतु राष्ट्रीय स्तर की प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थाओं से "रुचि की अभिव्यक्ति" का आमंत्रण

ट्रायबल यूथ हास्टल योजना नियमावली, वर्ष 2019 अंतर्गत राष्ट्रीय स्थित प्रतिष्ठित निजी कोचिंग संस्थानों के माध्यम से राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा सामान्य EWS के कुल 50 विद्यार्थियों को ट्रायबल यूथ हॉस्टल द्वारिका, नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु कोचिंग प्रदान किया जाना है। अतएव विभाग द्वारा इस क्षेत्र में कार्यरत राष्ट्रीय स्तर की निजी प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थाओं से "रुचि की अभिव्यक्ति" (Expression of Interest) के माध्यम से प्रस्ताव आमंत्रित है।

इच्छुक कोचिंग संस्थाएं एक बंद लिफाफा में अपना प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते है, जिसमें उल्लेखित दस्तावेज अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा :–

1. कोचिंग संस्था सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860/छ.ग. सोसायटी पंजीकरण अधिनिमय 1973/कम्पनीज एक्ट 1956/इंडियन पार्टनरशिप एक्ट/ए ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर इंडियन ट्रस्ट एक्ट (रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट अनिवार्य तथा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी) भारत सरकार अथवा छ.ग. शसन मान्यता प्राप्त किसी एक्ट के तहत पंजीकृत हो। संस्था का पंजीयन निविदा प्रकाशन दिनांक से न्यूनतम 03 वर्ष पूर्व का होना चाहिए।
2. संस्था का पेन(PAN), टेन (TAN) तथा जी.एस.टी (GST) नम्बर अनिवार्यतः होना चाहिए। स्वयं के द्वारा सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।
3. (i) संस्था को प्रमाण स्वरूप विगत 03 वर्षो का अंकेक्षण प्रतिवेदन (आडिट रिपोर्ट) प्रस्तुत करना होगा।
   (ii) पिछले 02 वर्षो में सर्विस टेक्स/जी.एस.टी. जमा किया गया हो अथवा छूट प्रदान की गयी हो, के संबंध में दस्तावेज
   (iii) कोचिंग संस्था द्वारा आश्वासित सफलता का उल्लेख करना होगा।
4. सुरक्षा निधि के रूप में रू 1.25 लाख का बैंक ड्राफ्ट/एफ.डी.आर. 01 वर्ष की अवधि हेतु जो आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, इंद्रावती भवन, अटल नगर जिला रायपुर छ.ग. के पक्ष में हो , संलग्न होना चाहिए।
5. प्रशिक्षण हेतु आवेदन करने वाली कोचिंग संस्थाओं से प्राप्त आवेदन पत्रों को शार्ट–लिस्ट किया जायेगा। शार्ट–लिस्टेड कोचिंग संस्थाओं को विभागीय समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण देना होगा, जिसमें संस्था की पृष्ठभूमि , विषय विशेषज्ञों का विवरण एवं **प्रशिक्षण विधि आदि का उल्लेख करना होगा।**
6. रूचि की अभिव्यक्ति में उल्लेखित अंतिम तिथि तक प्राप्त प्रस्तावों के मूल्यांकन हेतु पात्र संस्थाओं को प्रस्तुतीकरण (Power Point Presentation) हेतु आमंत्रित किया जायेगा। संस्था द्वारा प्रत्याशियों के प्रारंभिक परीक्षण में चयन की प्रतिबद्धता के आधार पर गुणात्मक मूल्यांकन किया जायेगा।
7. कोचिंग संस्था को कोचिंग कार्य हेतु प्रति विद्यार्थी राशि रूपये एक लाख (समस्त कर सहित) कोचिंग शुल्क चयनित संस्था को दिया जायेगा। यह शुल्क कंडिका क्रमांक 13 के अनुसार देय होगा।
8. कोचिंग/टीचिंग हेतु स्टडी मटेरियल एवं टेस्ट पेपर अभ्यर्थी को उपलब्ध कराने हेतु रूपये 10,000/– प्रति प्रशिक्षणार्थी कोचिंग संस्था को देय होगी।
9. प्रशिक्षण की अवधि प्रशिक्षण प्रारंभ होने से एक वर्ष की होगी।
10. प्रशिक्षण द्वारिका नई दिल्ली स्थित ट्रायबल यूथ हॉस्टल मे होगा।
11. कोचिंग संस्था से एक व्यक्ति प्रशिक्षण स्थल पर सदैव उपलब्ध रहेगा, जो कोचिंग संस्था एवं प्रशिक्षणार्थियों के बीच महत्वपूर्ण कड़ी (Link) होगा।
12. संस्था को कोचिंग आवश्यकतानुसार हिन्दी एवं अग्रेजी माध्यम में देना होगा।

Scanned by CamScanner

13. **कोचिंग संस्था को राशि का भुगतान निम्नानुसार किया जायेगा :–**

(i) प्रथम किश्त की देय राशि – कुल देय राशि का 25 प्रतिशत। अनुबंध निष्पादित होने/कोचिंग प्रारंभ होने के 30 दिवस के भीतर।

(II) द्वितीय किश्त की देय राशि – कुल देय राशि का 25 प्रतिशत। कोचिंग प्रारंभ होने 02 माह पश्चात।

(III) तृतीय किश्त की देय राशि – कुल देय राशि का 20 प्रतिशत। कोचिंग प्रारंभ होने 06 माह पश्चात।

(IV) चतुर्थ/अंतिम किश्त की देय राशि – कुल देय राशि का 30 प्रतिशत। कोचिंग समाप्त होने के पश्चात आश्वासित परीक्षा परिणाम तथा वास्तविक परीक्षा परिणाम के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर देय होगा। आश्वासित परीक्षा परिणाम प्राप्त नहीं होने पर वास्तविक परीक्षा परिणाम के आधार पर अनुपातिक कटौती की जायेगी।

इच्छुक कोचिंग संस्थाएं आवेदन का प्रारूप, न्यूनतम पात्रता, शर्ते, सुरक्षानिधि की राशि तथा अन्य जानकारी विभाग की वेबसाईट www.tribal.cg.gov.in से अवलोकन अथवा डाउनलोड कर सकते है। आवेदन पत्र विभागीय वेबसाईड से डाऊनलोड कर प्रस्तुत करने हेतु संस्थाओं को अपने प्रस्ताव के साथ रू. 1000/– का बैक ड्राफ्ट आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, इंद्रवती भवन, के नाम पर राष्ट्रीयकृत बैंक का संलग्न करना होगा।

1. प्रस्ताव को जमा करने की अंतिम तिथि – 10.10.2019, अपरान्ह 3.00 बजे
2. निर्धारित तिथि तक प्राप्त प्रस्ताव को समिति के समक्ष खोला जाना – 10.10.2019, अपरान्ह 04.00 बजे
3. पात्र पाए गए कोचिंग संस्थाओं का समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण – 11.10.2019 अपरान्ह 04.00 बजे

लिफाफा खोलते समय संस्थाओं के अधीकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है। डाक विभाग के गडबड़ी के कारण विलंब से प्राप्त होने वाले आवेदन मान्य नहीं होंगे। इस हेतु नई दिल्ली स्थित ट्रायबल यूथ हॉस्टल प्रेस एवं संचालन योजना नियम–2019 में उल्लेखित शर्ते लागू होगी।

(डी.डी. सिंह)
आयुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
अटल नगर जिला रायपुर, छत्तीसगढ़

टीप:- "रूचि की अभिव्यक्ति" हेतु प्रस्ताव कार्यालय आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास नवा रायपुर, अटल नगर इन्द्रावती भवन में जमा किया जाना है।"

D:\office\youva carriyar\EOI\cgpsc EOI - (Inpenald).docx

Scanned by CamScanner

संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु कोचिंग प्रदान किये जाने हेतु राष्ट्रीय स्तर की प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थाओं से "रुचि की अभिव्यक्ति" का आमंत्रण

(रूचि की अभिव्यक्ति की सूचना क्रमांक ....दिनांक...................के संदर्भ में)

भाग– एक (प्रथम लिफाफा)

क्रमांकः– 01 (संस्था का सामान्य परिचय–पुष्टि हेत अभिलेख संलग्न किया जावे)

1. (अ) राष्ट्रीय स्तर के कोचिंग संस्था का नाम एवं पंजीयन क्रमांक : ....
   (ब) कोचिंग संस्था का पूर्ण पता : ....
   : ....
   (स) दूरभाष (कोड सहित) : ....

2. कोचिंग संस्था को यह व्यवसाय करने हेतु किस विभाग/संस्था/फर्म से मान्यता प्राप्त है, जारी प्रमाण पत्र/पंजीयन का क्रमांक एवं दिनांक : ....

3. यदि कोचिंग संस्था किसी समिति/कंपनीज एक्ट के अंतर्गत संचालित है तो :–
   (अ) समिति/कंपनीज एक्ट का नाम : ....
   : ....
   (ब) समिति/कंपनीज एक्ट के कार्यालय का पूर्ण पता : ....
   : ....
   (स) दूरभाष (कोड सहित) : ....

4. (अ) समिति/कंपनीज एक्ट किस एक्ट के तहत पंजीकृत है : ....
   (ब) समिति/कंपनीज एक्ट का जीवित पंजीयन क्रमांक : ....
   (स) समिति/कंपनीज एक्ट का वैद्यता दिनांक : ....
   (द) समिति/कंपनीज एक्ट के गर्वनमेन्ट बॉडी की अंतिम बैठक का दिनांक : ....
   (इ) समिति/कंपनीज एक्ट के अंतिम बैठक की आम सभा का दिनांक : ....
   (फ) समिति/कंपनीज एक्ट के गर्वन्मेन्ट बॉडी के अध्यक्ष, : ....
   सचिव एवं सदस्यों के नाम एवं पूर्ण पता : ....
   मोबाईल नंबर सहित : ....

5. संस्था का पेन(PAN), टेन (TAN) तथा जी.एस.टी (GST) नम्बर : ....
   (सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)
   (i) संस्था को प्रमाण स्वरूप विगत 03 वर्षो का अंकेक्षण प्रतिवेदन (आडिट रिपोर्ट) प्रस्तुत करना होगा।
   (ii) पिछले 02 वर्षो में सर्विस टेक्स/जी.एस.टी. जमा किया गया हो अथवा छूट प्रदान की गयी हो, के संबंध में दस्तावेज संलग्न करें।

Scanned by CamScanner

6. सुरक्षा निधि के रूप में रू 1.25 लाख का बैंक ड्राफ्ट/एफ.डी.आर. 01 वर्ष की अवधि हेतु जो आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, इंद्रावती भवन, अटल नगर जिला रायपुर छ.ग. के पक्ष में हो, संलग्न करें

7. प्रस्तावित प्रोजेक्ट हेतु नियुक्त प्रोजेक्ट इनचार्ज का नाम :-

(अ) इन्चार्ज का नाम : ....

(ब) शैक्षणिक अर्हता : ....

(स) अनुभव : ....

8. कोचिंग संस्था के फैक्लटी, जिनके द्वारा कोचिंग में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा, का विवरण

क्र.	शिक्षक का नाम	योग्यता	स्नातक एवं स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली संस्था का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	अनुभव	अध्यापन का विषय
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						

टीप :- सभी का बायोडाटा अनिवार्य रूप से संलग्न होना चाहिए।

9. कोचिंग संस्था अपनी संस्था के विगत 03 वर्षों के ~~सफलता~~ उपलब्धि का संक्षिप्त विवरण देवें ....
....
....

10. कोचिंग संस्था द्वारा प्रशिक्षण में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की आशवासित सफलता के प्रतिशत का उल्लेख करें (अंक एवं शब्दों में) ....
....

संस्था प्रमुख की घोषणा

मैं घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि आवेदन पत्र में दर्शाई गई जानकारी एवं उनकी पुष्टि हेतु पृथक से संलग्न विस्तृत विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है।

मैं संघलोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु कोचिंग योजना (ट्रायबल यूथ हॉस्टल, नई दिल्ली योजना नियम 2019) एवं ''रूचि की अभिव्यक्ति'' में दिए गए प्रावधानों का भलीभांति अध्ययन कर लिया गया है एवं इससे सहमत हूँ। विभाग द्वारा अध्यापन/प्रशिक्षण (कोचिंग) कार्य हेतु चयन किये जाने की स्थिति में विभागीय निर्देशों का पालन करते हुए निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण किया जाएगा एवं अनुबंध का पालन किया जाएगा।

दिनांक : ....
स्थान : ....

हस्ताक्षर/मोहर
सहित

टीपः- प्रस्तुत किए जाने वाले आवेदन पत्र एवं इसमें संलग्न किए गए समस्त अभिलेखों पर कोचिंग संस्था के संचालक का पदमुद्रा सहित हस्ताक्षर होना चाहिए।

Scanned by CamScanner